

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 242]

नवा रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 15 मई 2026 — वैशाख 25, शक 1948

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 24 अप्रैल 2026

अधिसूचना

क्रमांक RULE-801/4/2025—Revenue-Part (1).— छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्र. 20 सन् 1959) की धारा 30 एवं धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, न्यायालयीन प्रक्रियाओं में एकरूपता एवं दक्षता को सुनिश्चित करने हेतु, राज्य सरकार, एतद्वारा, निम्नलिखित प्रक्रिया अधिसूचित करती है, अर्थात्:—

1. जहाँ राजस्व अधिकारी/राजस्व न्यायालय द्वारा धारा 30 में उल्लिखित कार्यवाही के प्रयोजन हेतु कोई दस्तावेज, प्रकरण, नस्ती इत्यादि की माँग की जाती है, तो दस्तावेज या अभिलेख की स्कैन की गई प्रति (पीडीएफ), सम्यक् रूप से सत्यापन एवं उसमें अंतर्विष्ट पृष्ठों की कुल संख्या का विशेष रूप से उल्लेख करते हुए, ई-कोर्ट प्रबंधन प्रणाली या शासकीय कार्यक्षेत्र (nic/gov) की ई-मेल आईडी के माध्यम से भेजी जा सकेगी।

2. धारा 33 प्रयोजन हेतु ई-कोर्ट प्रबंधन प्रणाली एवं शासकीय कार्यक्षेत्र (nic/gov) के ई-मेल प्लेटफार्म को विहित किया जाता है। इस हेतु राजस्व न्यायालय में प्रकरण/याचिका प्रस्तुत करते समय आवेदक/अनावेदक का मोबाईल नंबर एवं ई-मेल आईडी प्राप्त किया जायेगा और पंजीयन के समय ई-कोर्ट सिस्टम में प्रविष्ट किया जायेगा ताकि संबंधित व्यक्तियों को एस.एम.एस. और ई-मेल के माध्यम से सूचना/जानकारी प्रेषित की जा सके।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अरूण कुमार मरकाम, उप-सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 24th April 2026

NOTIFICATION

No. RULE-801/4/2025—Revenue-Part (1).— In exercise of the powers conferred by Section 30 and Section 33 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No 20 of 1959), to ensure uniformity and efficiency in the Court proceeding, the State Government, hereby, notifies the following procedure, namely:-

1. Where the Revenue Officer/Revenue Court called any document, case, file, etc. for the purpose of proceeding mentioned in Section 30, the scanned copy (PDF) of the document or record may be transmitted through E-Court Management System or the e-mail ID of the Government Domain (nic/gov) after due verification and with specific mention of the total number of pages contained therein.

2. E-Court Management System and e-mail platform of Government Domain (nic/gov) is prescribed for the purpose of Section 33. While presenting the case/petition in the Revenue Court, the mobile no. and e-mail ID of the applicant/non-applicant shall be obtained for this and entered in E-Court System at the time of registration so that the notice/information may be sent to the concerned persons through S.M.S. and e-mail.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ARUN KUMAR MARKAM, Deputy Secretary.